



नागरिक चार्टर / ग्राहक चार्टर

भारी उद्योग विभाग

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

<http://www.dhi.nic.in>

दृष्टिकोण - विभाग के अंतर्गत आधुनिक, स्वस्थ और सुदृढ़ ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और कैपिटल गुड्स सेक्टर तथा स्वनिर्भर और विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रखना।

ध्येय- भारी उद्योग विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रूग्ण और हानि उठा रहे उद्यमों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार का प्रयास करता है। भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा परीक्षण अवसरचना का निर्माण कर वैश्विक ऑटोमोटिव उद्यमों के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। भारी उद्योग विभाग ऑटो हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल्स तथा कैपिटल गुड्स सेक्टरों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

सेवाएं- यह विभाग नागरिकों, भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, एसोसिएशनों, सांविधिक निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सेवाएं देता है जैसाकि नीचे मानदंडों के साथ "मुख्य सेवाएं" के अंतर्गत दर्शाया गया है:

मुख्य सेवाएं/ व्यवहार

क्र.सं.	सेवाएं/ व्यवहार	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष) नंबर	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि (रुपए)
नागरिकों को सेवाएं										
1.	विकलांग के व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करना।	10.0	श्री डी.के. चौधरी, अवर सचिव	dk.chau dhary/70 @nic.in	011 - 2306 1045	आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति	1. चिकित्सा प्रमाणपत्र का 2. विनिर्माता का प्रमाणपत्र 3. व्यक्ति से शपथपत्र अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा/प्रपत्र के लिए कृपया www.dhi.nic.in पर क्लिक करें)	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
2.	शिकायतों को दूर करना	10.0	श्री राजेश कुमार	singh.rk1 @ 967	011 - 23063740	शिकायत की प्राप्ति और	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

	<p>सिंह, संयुक्त सचिव और शिकायत निवारण निदेशक</p>	<p>nic.in या pgcell- dhi@nic. in</p>	<p>011- 23061565</p>	<p>पावती जारी करना भारी उद्योग के संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अनुभाग को भेजना संबंधित प्राधिकरणों से इनपुट प्राप्त करना संबंधित व्यक्ति को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजना सीपीजीआरए एमएस को अपडेट करना</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>पीएण्डएओ, भारी उद्योग विभाग या डीडीओ, भारी उद्योग विभाग के पक्ष में देय दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट /पे ऑर्डर/ भारतीय पोस्टल ऑर्डर या नकद</p>	<p>3. सूचना का आवेदन (यह सेवा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार दृढ़ता से प्रदान की जाती है।)</p> <p>10.0</p> <p>श्री मनजीत कुमार, उप सचिव और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव और</p> <p>kumar.m anjit @nic.in</p> <p>011- 23061565</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्राप्ति धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र</p> <p>प्रत्येक आरटीआई आवेदन के लिए रु 10/- पहली अपील के लिए कोई शुल्क नहीं। दस्तावेजों के लिए 2 रु प्रति पृष्ठ या दस्तावेज की वास्तविक लागत। रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए-</p>
--	---	--	--------------------------	--	------------------	------------------	--	--

		अपीलीय प्राधिकारी			के उद्यम को आवेदन भेजना, यदि आवश्यक हो। धारा 5(4) के तहत सूचना पाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन अश्रेष्ठित करना आवेदक को सूचना भेजना अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहली अपील का निपटारा।		भुगतान देकर पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं तथा अगले प्रत्येक घंटे या भाग के लिए रु 5/- (आरटीआई के तहत शुल्क आरटीआई के प्रावधान (नियमन शुल्क और लागत) निम्न 2005 का संदर्भ लें)			
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों स्वायत्त अनुसंधान संस्थान-एफसीआरआई, एआरएआई, नैट्रिप/औद्योगिक एसोसिएशनों/कंपनियों को सेवाएं										
4.	क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उद्यम, संयंत्रों, मशीनरी के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय लेना और निधि जारी करना।	5.0	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम प्रभासी निदेशक/उप सचिव	@	@	प्रस्तावों की जांच अंतर मंत्रालयी परामर्श, यदि आवश्यक हो। सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना। अंतिम आदेश जारी करना	प्रस्ताव के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

15

5.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रणण/हानि उठा रहे उद्यमों को वित्तीय सहायता देना।	10.0	श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव	singh.rk1 967@ nic.in	011- 23063740	प्रस्ताव की जांच मंत्रिमंडल नोट तैयार करना। अंतर मंत्रालयी परामर्श सीसीईए का अनुमोदन वित्तीय सहायता जारी करना अंतर मंत्रालयी परामर्श सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन स्वीकृति आदेश जारी करना।	प्रस्ताव के समर्थन संबंधी दस्तावेज तथा पिछली स्वीकृति के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
6.	कैपिटल गुड्स सेक्टरों अर्थात हेवी इंजीनियरिंग हेवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में "प्रोजेक्ट इपोर्ट स्कीम"	10.0	सेक्टर प्रभारी निदेशक उप सचिव	@	@	आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन की प्राप्ति आवेदन की जांच औद्योगिक सलाहकार की सलाह लेना कम्युनिकेशन जारी करना	1. आईइएम / आईएल की प्रति 2. प्लान्ट ले आउट 3. आयात की जाने वाली मशीनरी/ उपकरण का ब्यौरा 4. प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार/ अन्य से मिले क्लीयरेंस की प्रतियां(ब्यौरे/ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के लिए www.dhi.nic.in पर जाएं)	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

<p>के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें</p>				<p>प्रस्ताव की जांच अंतर मंत्रालयी परामर्श सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंतिम आदेश जारी करना</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>
<p>7. निम्न लिखित के संबंध में नैट्रिप, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारी उद्योग विभाग के अधीन स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग एसोसिएशनों से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई:- (क) हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ख) हेवी इंजीनियरिंग और मशीन</p>	<p>5.0 औद्योगिक सेक्टर के प्रभासी निदेशक/ उप सचिव</p>	<p>@</p>	<p>@</p>					

दूसरे (ग) आँटे मोबाइल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

केंद्रीय सरकारी मंत्रालय/विभागों/राज्य सरकारों/सांविधिक संगठन

8.	नीति मामलों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/सांविधिक निकायों से प्राप्त संदर्भ और एफआइ पीबी और पीएबी के संबंध में वैयक्तिक संदर्भों पर टिप्पणियां देना।	10.0	औद्योगिक के सेक्टर प्रभारी निदेशक/उप सचिव	@	@	प्रस्तावों की जांच संबंधित प्राधिकरणों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से इनपुट प्राप्त करना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन टिप्पणियां प्रस्तुत करना	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
9.	निम्नलिखित के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां	10.0	औद्योगिक के सेक्टर प्रभारी संयुक्त सचिव	@	@	प्रस्ताव की जांच औद्योगिक सलाहकारों की सलाह लेना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अंतिम टिप्पणियां देना	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

<p>प्रस्तुत करना:- क) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत कच्चे माल / कलपुर्जों का आयात ख) प्रतिबंधित मर्दों का आयात</p>					<p>प्रस्ताव की जांच संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ अन्य संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करना सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करना।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
<p>10. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ मामले उठाना तथा अन्य मंत्रालयों / विभागों/ राज्य सरकारों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त के</p>	10.0	<p>केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक / उप सचिव</p>	@	@		लागू नहीं	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ प्रभावी कार्रवाई करना।									
11. भारी उद्योग विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रकाशन	10.0	श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव	singh.rk1 967@nic.i n	011 - 2306 3740	भारी उद्योग विभाग में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ स्वायत्त अनुसंधान संस्थान/ अनुभागों से सामग्री प्राप्त करना सामग्री एकत्र करना और हिंदी अनुवाद सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण लोक सभा/ राज्य सभा के पटल पर रखना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

@ कृपया ईमेल पता और दूरभाष संख्या के लिए www.dhi.nic.in देखें।

(११)

सेवा मानकों की आवश्यकताएं

क्र.सं.	सेवाएं/ व्यवहार	सेवा भार	सफलता का सूचक	सेवा मानदण्ड	इकाई	भार	आंकड़ा स्रोत
नागरिकों को सेवाएं							
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्याद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करना।	10.0	पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
2.	शिकायतों को दूर करना	10.0	शिकायत प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय: पावती जारी करना आवेदन का ऑनलाइन हस्तांतरण की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजना अपील, यदि कोई हो, का निपटारा	2 2 30 30	कार्य दिवस कार्य दिवस कार्य दिवस कार्य दिवस	2.0 2.0 4.0 2.0	रिकार्ड
3.	सूचना का अधिकार के आवेदन	10.0	आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय अन्य विभागों को आवेदन भेजना आवश्यक सूचना देने का कम्प्यूटरीकरण जारी करना प्रथम अपील का निपटारा	5 दिन 30 दिन 30 दिन	कार्य दिवस कार्य दिवस कार्य दिवस	2.0 5.0 3.0	रिकार्ड
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त अनुसंधान संस्थान-एफसीआरआई, एआरएआई, नैट्रिप/औद्योगिक एसोसिएशनों/कंपनियों को सेवाएं							
4.	क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयंत्र, मशीनरी के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय और निधि जारी करना।	5.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य दिवस	5.0	रिकार्ड
5.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/ हानि उठा रहे उद्यमों को वित्तीय सहायता देना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय (पिछली तिमाही के वेतन के देय होने के तीन माह बाद प्रस्ताव भेजा जाए)	90	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड
6.	कैपिटल गुड्स सेक्टरों अर्थात हेवी इंजीनियरिंग,	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड

20

	हेवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में "प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम" के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें		गया अधिकतम समय						
7.	निम्नलिखित के संबंध में नैट्रिप, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारी उद्योग विभाग के अधीन स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग एसोसिएशनों से प्राप्त संदर्भ पर कर्रवाई:- (क) हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ख) हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स (ग) ऑटो मोबाइल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज	5.0	पूर्ण प्रस्ताव/ संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य दिवस	5.0	रिकार्ड		
केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/ सांविधिक संगठन									
8.	नीति मामलों पर अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों/ सांविधिक निकायों से प्राप्त संदर्भ और एफआईपीबी और पीएबी के संबंध में वैयक्तिक संदर्भों पर टिप्पणियां देना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड		
9.	निम्नलिखित के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना:- क) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत कच्चे माल / कलपुर्जा का आयात ख) प्रतिबंधित मर्दों का आयात	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड		
10.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ मामले उठाना तथा अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ प्रभावी कर्रवाई करना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय और टिप्पणियां प्रस्तुत करना।	60	कार्य दिवस	10.0	रिकार्ड		
11.	वार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रकाशन	10.0	संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि	30 जून	दिनांक	10.0	रिकार्ड		

52

सेवा प्राप्त करने वालों से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्रम सं.	सेवा प्राप्त करने वालों से अपेक्षाएं
1.	निधियों की निर्मुक्ति संबंधी प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा होना चाहिए।
2.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/एसोसिएशनों/भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ स्वायत्त निकायों से नियमित फीड बैक।
3.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/एसोसिएशनों आदि द्वारा रिपोर्ट/रिटर्न की समय पर प्रस्तुति।
4.	विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवर्तित कार की खरीद पर उत्पाद शुल्क में उपयुक्त छूट प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्ण आवेदन पत्र।
5.	इनपुट/तकनीकी परामर्श लेने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनुसंधान संस्थान/एसोसिएशन आदि से प्राप्त प्रस्ताव स्वतः स्पष्ट और सभी प्रकार से परिपूर्ण होने चाहिए।

शिकायत निवारण प्रणाली

निदेशक (शिकायत)

संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग विभाग,
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
टेलीफोन न. 011-23063740, फैक्स -011-23063740
ई-मेल :- pgcell-dhi@nic.in

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

सेवा प्राप्त कर्ता शिकायत को भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट www.dhi.nic.in शिकायत पोर्टल <http://pgportal.gov.in> पर व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट अथवा ई-मेल या फैक्स के माध्यम से निदेशक (शिकायत) को दर्ज करवा कर सकते हैं।

शिकायतकर्ता से अपेक्षा

- शिकायत का विषय सभी संगत सूचनाओं के साथ स्पष्ट होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता दर्शाया जाना चाहिए।

- यदि विषय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकरण को भेजी जा सकती है।

प्रत्युत्तर की समय सीमा

- डाक द्वारा शिकायत की प्राप्ति सूचना- दो कार्यदिवस के भीतर होनी चाहिए।
- सीपीजीआरएमएस द्वारा की गई शिकायत की ई-प्राप्ति-सूचना शीघ्र होनी चाहिए।
- अतिरिक्त सूचना के लिए पत्र व्यवहार, यदि अपेक्षित हो-15 कार्यदिवस के भीतर होना चाहिए।
- की गई कार्रवाई रिपोर्ट- 30 कार्यदिवस के भीतर दी जानी चाहिए।

स्टेकहोल्डर/ग्राहकों की सूची

क्रम सं.	स्टेकहोल्डर / ग्राहकों का विवरण
नागरिक	
1.	संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट चाहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
2.	भारी उद्योग विभाग को जन शिकायत भेजने वाले असंतुष्ट व्यक्ति/ आरटीआई आवेदक
ग्राहक	
3.	‘प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम’ के तहत सीमा शुल्क की रियायती दरों की मांग करने वाली कंपनियां/फर्म
4.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सूची के अनुसार)
5.	फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरआई), एआरआई - फोर्जिंग इंडस्ट्री डिवीजन (एआरआई-एफआईडी)
6.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी), नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप)
7.	एसोसिएशन <ul style="list-style-type: none"> • ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (एसीएमए) • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली (एसआईएम) • इंटरनेशनल माइनिंग एण्ड मशीनरी एक्टिविशन, केरल (आईएमएमई) • इण्डियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली (आईईईएमए) • इण्डस्ट्रियल एरिया मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमए) • सिंथेजियम ऑन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एसआईएटी) • ट्रैक्टर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीएमए), नई दिल्ली

	<ul style="list-style-type: none"> • नैट्रिप इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी (नैटिस), • इण्डियन मशीन टूल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमटीएमए) • इण्डियन टेक्सटाइल एसेसरीज एण्ड मशीनरीज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई (आईटीएमएमए) • टेक्सटाइल मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया), मुम्बई (टीएमएमए) • इण्डियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एण्ड अलाइड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश (आईपीएमएमए) • प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन, मुम्बई (पीपीएमएमआई) • कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, नई दिल्ली (सीआईआई) • दी एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (ऐसोचैम) • फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली, (फिककी)
8.	<p>सांविधिक/प्रशासनिक प्राधिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) • लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) • राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी)
9.	<p>केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग:-</p> <p>योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गैर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग, सडक परिवहन विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लोक उद्यम विभाग, रेलवे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो</p>
10	<p>राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन</p>

भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और पता
1.	एण्ड्रू यूएल एण्ड कंपनी, यूएल हाऊस, 8, डा.राजेंद्र प्रसाद सरणी, कोलकाता- 700 001
2.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल हाऊस, सिरी फोर्ट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली - 110 049
3.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, 26, राजा संतोष रोड, कोलकाता - 700 027
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं.लि., 27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001
5.	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड, पीओ बीएचपीवी, विशाखापट्टनम - 530 012
6.	भारत पम्प एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद - 211 010
7.	रिचर्डसन एण्ड कुड्रास लिमिटेड, भायकुला आयरन वर्क्स, पो. बॉ.सं.4503, सर जे जे रोड, मुम्बई - 400 008
8.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद -211 010
9.	तुंगाभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला बेगारी, तुंगा भद्रा बांध- 583 225
10.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, पांचवां तल, कंकरिया सेंटर, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता- 700 071
11.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
12.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003
13.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, रूबी बिल्डिंग, 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016
14.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कार्पोरेशन, पो.आ. - पेपर नगर, जिला- मोकोकचुंगा, नागालैण्ड -798623
15.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला-कोट्टयम, केरल - 686 616
16.	एचएमटी लिमिटेड, 59, बेल्गारी रोड, बेंगलूरु - 560 032
17.	एचएमटी (आई) लिमिटेड, 59, बेल्गारी रोड, बेंगलूरु - 560 032
18.	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, 59, बेल्गारी रोड, बेंगलूरु - 560 032
19.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, 59, बेल्गारी रोड, बेंगलूरु - 560 032
20.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड, 59, बेल्गारी रोड, बेंगलूरु - 560 032
21.	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जोनाकोट, श्रीनगर- 190 017
22.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 9, एलिन रोड, कोलकाता - 700 020
23.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017
24.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017

25.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302 012, राजस्थान
26.	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, प्लॉट प्लाना रोड, पो.ऑ.-धुर्वा, रांची - 834 004
27.	एवपीएफ लिमिटेड, इंदु नगर, ऊटकमंड - 643 005, तमिलनाडु
28.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, झालावाड़ रोड, कोटा, राजस्थान- 324 005
29.	नेपा लिमिटेड, नेपा नगर - 450 221, मध्य प्रदेश
30.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, पीओ बॉक्स सं.1, लखनऊ- 226 008
31.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, लेसली हाऊस, 19, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता- 700 087
32.	हंगाली प्रिंटिंग कं.लि., यूल हाऊस, 8, डा.राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता- 700 001
33.	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कांजीकोडे वेस्ट, पलक्कड़, केरल - 678 623
34.	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, सर्वे न. 102, वेदल हेल्थ ऑफ पौड रोड, कोथरूड, पुणे - 411 004
35.	नैट्रिप, एनबीसीसी प्लेस, साउथ टावर, तीसरा तल, प्रगति विहार, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003

जारी करने की तिथि: फरवरी, 2013
आगामी चार्टर समीक्षा तिथि: फरवरी, 2014

(६)